सीबीएसई/अ अ (पीटीजी)/ प्राइवेट 2022 दिनांक 27.11.2021

नोटिस

कक्षा - बारहवीं की परीक्षाओं - 2022 के लिए प्राइवेट अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा फार्म जमा करना

मार्च/अप्रैल, 2022 के महीने में टर्म-II परीक्षाओं के साथ, सीबीएसई छात्रों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए भी परीक्षा आयोजित करेगा:

	श्रेणी
1.	जिन अभ्यर्थियों का 2021 में परिणाम अनिवार्य पुनरावृत्ति (ESSENTIAL REPEAT) घोषित किया गया है
2.	जिन अभ्यर्थियों को मुख्य-2021 परीक्षाओं में कम्पार्टमेंट (COMPARTMENT) में रखा गया है
3.	जिन अभ्यर्थियों को अगस्त/सितंबर 2021 में कम्पार्टमेंट (COMPARTMENT) में रखा गया है
4.	जिन अभ्यर्थियों को 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 में अनुत्तीर्ण (FAIL) घोषित किया गया है
5.	2021 के उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो एक या अधिक विषयों में अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए उपस्थित होना चाहते हैं
6.	2020 और 2021 के उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो एक अतिरिक्त विषय में उपस्थित होना चाहते हैं
7.	महिला अभ्यर्थी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी दिल्ली) की वास्तविक निवासी हैं और उन्होंने 2020 या उससे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा x या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है
8.	दिव्यांग विद्यार्थी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी दिल्ली) का एक वास्तविक निवासी है और जिसने 2020 या उससे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है
9.	दिल्ली के पत्राचार विद्यालय के छात्र

तदनुसार, उपरोक्त श्रेणियों में रखे गए अभ्यर्थियों द्वारा 2022 में होने वाली परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करना 02.12.2021 से शुरू होगा।

आवेदन के लिए लिंक http://cbse.nic.in/newsite/private/index.html है।

सभी ध्यान दें कि इन श्रेणियों के छात्रों के लिए परीक्षा केवल टर्म- II के पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी। टर्म अनुसार पाठ्यक्रम का विवरण लिंक-http://cbseacademic.nic.in/Term-wise-curriculum_2022.html पर उपलब्ध है।

माता-पिता/अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले निम्नलिखित अनुलग्नकों को ध्यान से पढ़ लें:

ए. पात्रता मानदंड - **अनुलग्नक 1**

बी. सामान्य जानकारी - **अनुलग्नक 2**
सी. ऑनलाइन आवेदन जमा करने और फोटो अपलोड करने के लिए विस्तृत निर्देश- **अनुलग्नक 3**
डी. शुल्क अनुसूची - **अनुलग्नक 4**
इ. विषयों की सूची - **अनुलग्नक 5**
एफ. पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों के लिए छूट/रियायतें – **अनुलग्नक 6**
जी. क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्राधिकार और संपर्क नंबर - **अनुलग्नक-7**

ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

ए. सभी फॉर्म और शुल्क केवल ऑनलाइन मोड में कड़ाई के साथ दिए गए शेड्यूल के अनुसार स्वीकार किए जाएंगे।

बी. ऑफलाइन मोड में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सी. अंतिम तिथि के बाद किसी भी आधार पर कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

डी. बिना शुल्क के कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इ. सभी गतिविधियों के लिए शुल्क केवल ऑनलाइन भुगतान मोड यानी नेट बैंकिंग / डेबिट / क्रेडिट कार्ड (राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय दोनों) के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।

एफ. ऑफलाइन मोड यानी डीडी / पोस्टल ऑर्डर / मनी ऑर्डर / चेक आदि में कोई शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जी. बोर्ड आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम-2018 में परिभाषित नि:शक्त अभ्यर्थियों को कई छूट/रियायतें प्रदान कर रहा है। अनुलग्नक 6 में संलग्न दिशानिर्देशों के अनुसार, छूट/रियायत प्राप्त करने के लिए, अभ्यर्थियों को मेडिकल सर्टिफिकेट (नि:शक्तता प्रमाण पत्र) की एक प्रति अपलोड करनी होगी।

एच. आवेदन पत्र जमा करते समय, बोर्ड की 2021 की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में विवरण ऑनलाइन प्रणाली में स्वतः उत्पन्न होगा और आवेदक को दिखाई देगा।

आई. 2020 या उससे पहले के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन/पोर्टल पर विवरण जमा करना होगा।

जे. यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में गलत प्रविष्टियां करता है या गलत बयान देता है या झूठे दस्तावेज पेश करता है, तो उसका फॉर्म खारिज कर दिया जाएगा, भुगतान किया गया शुल्क जब्त कर लिया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को अनुचित पद्धति का इस्तेमाल करने वाला माना जाएगा और तदनुसार निपटारा किया जाएगा।

के. परीक्षा-2022 के लिए ऑनलाइन फॉर्म में भरे गए शहर के चुनाव /पसंद के अनुसार परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे।

एल. यह देखा गया है कि कुछ अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन तो पूरा करते हैं लेकिन शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं। यदि अंतिम तिथि तक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसका आवेदन बिना किसी सूचना के खारिज कर दिया जाएगा।

एम. ऐसा कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा कि साइबर कैफे आदि से गलती हुई है, और आवेदन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना फॉर्म स्वयं भरें।

एन. केवल फॉर्म जमा करने और शुल्क का भुगतान करने से अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने का अधिकार नहीं मिल जाएगा। उसकी पात्रता बोर्ड द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करेगी।

ओ. परीक्षा के लिए फॉर्म जमा करना पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। तदनुसार, यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को छोड़कर फॉर्म की हार्ड प्रति सीबीएसई को भेजने की आवश्यकता नहीं है:

(i) महिला अभ्यर्थी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी दिल्ली) की वास्तविक निवासी हैं और उन्होंने 2020 या उससे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(ii) दिव्यांग छात्र जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी दिल्ली) का एक वास्तविक निवासी है और जिसने 2020 या उससे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है।

पात्रता, अंतिम तिथि और विलंब शुल्क के लिए, कृपया अनुलग्नक देखें। किसी भी प्रश्न के लिए, सीबीएसई हेल्पलाइन नंबर 1800-11-8002 पर सभी कार्य दिवसों में सुबह 9.30 बजे से साँय 5.30 के बीच कॉल करें।

(डॉ संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा कक्षा XII के लिए प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करने की पात्रता:

श्रेणी	पात्रता मानदंड
सभी विषय (5/6 विषय)	अभ्यर्थी जिसका परिणाम सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (कक्षा XII) 2021 में अनिवार्य पुनरावृत्ति के रूप में घोषित किया गया है। अथवा जिन अभ्यर्थियों का परिणाम वर्ष 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 में सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (कक्षा- XII) में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है। अथवा जिन अभ्यर्थियों का एक विषय में कंपार्टमेंट आया है, वे 5/6 विषयों में बैठने का विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें उन्होंने 2021 की परीक्षा दी है। ऐसे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी श्रेणी को "अनिवार्य पुनरावृत्ति" के रूप में चुनना चाहिए। अथवा जिन अभ्यर्थियों ने नियमित अध्ययन पूरा कर लिया है और उन्हें बारहवीं कक्षा की परीक्षा में बैठने के लिए रोल नंबर आवंटित किया गया था, लेकिन उपस्थिति में कमी को छोड़कर, चिकित्सा कारणों से उपस्थित नहीं हो सके। अथवा महिला अभ्यर्थी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी दिल्ली) की वास्तविक निवासी हैं और उन्होंने 2020 या उससे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा x या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है और निम्न अतिरिक्त शर्तें पूरी करती हो: ए कि उसने समुचित मार्गदर्शन के अंतर्गत अध्ययन के निर्धारित कोर्स का प्राइवेट रूप से अध्ययन किया है; और (बी)कि वह बोर्ड से सम्बद्ध सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शामिल होने में असमर्थ है या ऐसे अन्य कारण हैं जिनके कारण उसे प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित होना पड़ा है। नोट: इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी प्रैक्टिकल घटक वाले विषय नहीं ले सकती। तथापि वे प्रैक्टिकल के साथ गृह विज्ञान ले सकती हैं। अथवा दिव्यांग विद्यार्थी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी दिल्ली) का एक

	वास्तविक निवासी है और जिसने 2020 में या उससे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, जो जिन विषयों में प्रैक्टिकल प्रशिक्षण/परीक्षा शामिल नहीं है, में सामान्य संस्थानों में उपस्थित होने में कठिनाई होने का उचित सबूत पेश करता है। इस संबंध में चिकित्सा प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजे जाएंगे। अथवा दिल्ली के पत्राचार विद्यालय के छात्र जिनका एलओसी पत्राचार विद्यालय द्वारा पहले ही जमा कर चुका है। इन अभ्यर्थियों को अपना आवेदन स्वयं जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
कम्पाट्र्मेंट (01 विषय)	जिन अभ्यर्थियों का परिणाम मार्च 2021 और सितंबर 2021 में कम्पार्टमेंट के रूप में घोषित किया गया है, वे केवल उसी विषय में आवेदन कर सकते हैं जिसमें उन्हें कम्पार्टमेंट में रखा गया है। ऐसे अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी श्रेणी का चयन कम्पार्टमेंट के रूप में करना चाहिए।
प्रदर्शन में सुधार	केवल ऐसा अभ्यर्थी जिसने 2021 में बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की है, एक या एक से अधिक विषयों में अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि वह 2021 में आयोजित परीक्षा में उन्हीं विषयों में शामिल हुआ हो। तथापि, एक अभ्यर्थी जिसने वोकेशनल योजना के तहत बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की है, वह succeeding वर्ष या following वर्ष में मुख्य परीक्षा में प्रदर्शन में सुधार के लिए पुन: उपस्थित हो सकता है, बशर्ते उन्होंने इस बीच उच्च अध्ययन नहीं किया हो।
अतिरिक्त विषय	जिन अभ्यर्थियों ने बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे संलग्न विषयों की सूची में से अतिरिक्त विषय के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने के 02 वर्षों के भीतर आवेदन कर सकते हैं (अभ्यर्थी जो 2020 या 2021 में उत्तीर्ण हुए हैं, वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं)। हालांकि, अभ्यर्थी प्रैक्टिकल कार्य वाले विषय के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को परियोजना घटकों वाले विषयों को लेने की अनुमति है। हालांकि महिलाएं प्रैक्टिकल के साथ होम साइंस को ले सकती हैं।
नोट # 1	प्रदर्शन में सुधार के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अतिरिक्त विषय और इसके विपरीत (vice-versa) उपस्थित होने के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
नोट # 2	केवल वे अभ्यर्थी जिन्हें उत्तीर्ण घोषित किया गया है, वे अन्य शर्तों के अधीन प्रदर्शन में सुधार या अतिरिक्त विषयों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सामान्य जानकारी

1. सभी ध्यान दें कि इन श्रेणियों के छात्रों के लिए परीक्षा केवल टर्म- II के पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी।
2. एक बार आवंटित परीक्षा केंद्र अंतिम होगा और परीक्षा केंद्र बदलने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। परीक्षा फॉर्म में भरे गए विकल्प के अनुसार आवेदक के वर्तमान आवासीय पते के आधार पर बोर्ड द्वारा परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा।
3. आवेदक केवल उन्हीं विषयों के लिए आवेदन कर सकेंगे जो सिस्टम में स्वतः उत्पन्न होते हैं।
4. 2022 में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बोर्ड द्वारा नए (नए) रोल नंबर आवंटित किए जाएंगे।
5. किसी भी स्थिति में अभ्यर्थियों को पिछले वर्ष के रोल नंबर के साथ उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. प्रवेश पत्र और शैक्षिक दस्तावेज निम्नलिखित तरीके से प्राप्त किए जाएंगे:

उन अभ्यर्थियों के लिए जो दिल्ली के बाहर के केंद्रों से परीक्षा में शामिल होंगे।		
ए	प्रवेश पत्रक	योग्य अभ्यर्थी सीबीएसई की वेबसाइट www.cbse.nic.in से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे
बी	मूल अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र	मूल मार्कशीट और प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए आवासीय पते पर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा।
उन अभ्यर्थियों के लिए जो दिल्ली के केंद्रों से परीक्षा में शामिल होंगे।		
ए	प्रवेश पत्रक	योग्य अभ्यर्थी सीबीएसई की वेबसाइट www.cbse.nic.in से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे
बी	मूल अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र	मूल मार्कशीट और प्रमाण पत्र क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली द्वारा उस परीक्षा केंद्र पर भेजा जाएगा जहां अभ्यर्थी परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ था। अभ्यर्थी मूल प्रवेश पत्र प्रस्तुत करके परीक्षा केंद्र से मार्कशीट और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र परिणाम घोषित होने के महीने से एक वर्ष के लिए मूल दस्तावेज अपने पास रखेगा और उसके बाद छोड़े गए दस्तावेजों को क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली पूर्व या दिल्ली पश्चिम, जैसा भी मामला हो, को वापस कर दिया जाएगा।

7. अंकपत्र और प्रमाण-पत्र जारी करना

   ए. पिछले वर्ष की परीक्षा का मूल अंकपत्र और प्रमाण-पत्र सीबीएसई में जमा नहीं करना है।

   बी. 2022 की परीक्षा का अंकपत्र और प्रमाण-पत्र उन सभी अभ्यर्थियों को परिणाम घोषित होने के बाद जारी किया जाएगा जो परीक्षा, 2022 में शामिल होंगे।

   सी. प्रदर्शन में सुधार के लिए या अतिरिक्त विषय के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को केवल कथित परीक्षा में प्राप्त अंकों को दर्शाती हुआ एक अलग नया अंकपत्र जारी किया जाएगा।

डी. समेकित अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को जारी किया जायेगा जो द्वितीय अवसर कम्पार्टमेंट के लिए उपस्थित होंगे तथा उक्त कम्पार्टमेंट परीक्षा में 2022 में उत्तीर्ण होंगे। समेकित मार्कशीट और प्रमाण पत्र में मार्च/सितंबर 2021 में आयोजित पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण विषयों में प्राप्त अंक होंगे और साथ ही द्वितीय मौका कम्पार्टमेंट परीक्षा के लिए उपस्थित विषय में प्राप्त अंक भी शामिल होंगे।

8. परीक्षा के वर्ष के लिए निर्धारित विषयों और पाठ्यक्रम में ही अभ्यर्थियों की परीक्षा ली जाएगी। अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने से पहले सीबीएसई वेबसाइट लिंक www.cbseacademic.in/curriculum.html पर उपलब्ध पात्रता और उत्तीर्णता मानदंड के साथ-साथ वर्तमान पाठ्यचर्या और अध्ययन योजना को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए।

9. प्राइवेट अभ्यर्थी उन विषयों को नहीं ले सकते हैं जिनमें प्रयोगशाला अभ्यास शामिल है, हालांकि, महिला प्राइवेट अभ्यर्थी गृह विज्ञान के साथ प्रैक्टिकल की पेशकश कर सकती हैं।

10. दृष्टिबाधित (Blindness) अभ्यर्थियों के पास संगीत के किसी एक कोड की पेशकश करने का विकल्प होता है।

11. बोर्ड प्रत्येक विषय में अलग से प्राप्त अंकों को इंगित करते हुए अंकपत्र सह उत्तीर्ण प्रमाण पत्र जारी करता है। बोर्ड द्वारा कुल स्कोर/प्रतिशत का उल्लेख नहीं किया गया है। अभ्यर्थी जो 5/6 विषय लेते हैं और सभी 5/6 विषयों में उत्तीर्ण होते हैं, प्रतिशत की गणना उस कॉलेज / संस्थान के मानदंडों के अनुसार की जाती है जिसमें अभ्यर्थी प्रवेश लेना चाहता है।

12. आवेदक केवल एक ही आवेदन पत्र भर सकते हैं। यदि आपका आवेदन पहले ही जमा कर दिया गया है तो आपको किसी अन्य श्रेणी के तहत फिर से आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए श्रेणी का चयन सावधानी से करें।

13. आवेदकों से सही डाक पता देना अपेक्षित है।

14. भुगतान या तो आपके अपने खाते/डेबिट/क्रेडिट कार्ड या आपके माता-पिता/भाई-बहन के किसी खाते/डेबिट/क्रेडिट कार्ड से किया जाना चाहिए ताकि किसी भी धनवापसी की स्थिति में यह आप तक पहुंचे और किसी अन्य को नहीं।

15. संलग्नक 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार आवेदकों को अपने फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की हुई जेपीजी फाइलें, जो 40 केबी से अधिक आकार में न हों, अपलोड करने की आवश्यकता है।

16. भाषाओं के सामने विषय कोड को इंगित करने में सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि एक से अधिक प्रकार के पाठ्यक्रम हैं। भाषा के लिए, माध्यम कोड की आवश्यकता नहीं है।
17. जिस विषय (विषयों) में प्रैक्टिकल/परियोजना परीक्षा शामिल है, उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षा में अलग-अलग के साथ-साथ दोनों को मिलाकर भी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

18. हालांकि, यदि कोई अभ्यर्थी थ्योरी में पास हो गया है लेकिन प्रैक्टिकल/प्रोजेक्ट में अनुत्तीर्ण हो गया है, तो उसे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए आवेदन करना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो चिकित्सीय कारणों से प्रैक्टिकल परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके, उन्हें भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन करना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी की प्रैक्टिकल परीक्षा की तिथि/स्थान की

सूचना थ्योरी परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षक द्वारा दी जाएगी, जैसा सीबीएसई द्वारा आवंटित किया गया हो।

प्राइवेट अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए श्रेणीवार अनुदेश

निम्न श्रेणियों के तहत उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए-

अनुत्तीर्ण/ अनिवार्य पुनरावृत्ति/ कम्पाट्र्मेंट/ प्रदर्शन में सुधार

1. अभ्यर्थी के नाम, पिता/अभिभावक का नाम, माता का नाम आदि का विवरण ऑनलाइन प्रणाली में उन लोगों के संबंध में स्वतः उत्पन्न होगा जो 2021 में आयोजित बोर्ड की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। 2020 की परीक्षा या उससे पहले के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण भरने की आवश्यकता होगी।

2. बोर्ड परीक्षा के अपने अनुक्रमांक, विद्यालय संख्या और केंद्र संख्या (जैसा कि आपके अंकपत्र में दिया गया है) का सही संयोजन/combination, जहां भी उपलब्ध हो, डालें।

3. यदि गलत विवरण भरा जाएगा, तो आवेदन संसाधित किया जाएगा और एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा।

4. अभ्यर्थी द्वारा 2021 की परीक्षा में प्राप्त किए गए प्रैक्टिकल/आंतरिक मूल्यांकन/परियोजना आदि अंकों को 2022 की परीक्षा के लिए आगे अग्रेषित किया जाएगा। वर्ष 2021 से पहले के सभी मामलों में प्रैक्टिकल/आंतरिक मूल्यांकन/परियोजना में यथानुपात अंक दिए जाएंगे।

Fresh Female / दिव्यांग- इस श्रेणी(यों) के अंतर्गत आने वालों के लिए

1. विषयों का चयन ड्रॉप-डाउन सूची के अनुसार किया जाना चाहिए।
2. आंतरिक आकलन घटक वाले विषयों में थ्योरी परीक्षा में प्राप्त अंकों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के माध्यम से 100 अंकों में से आने वाले में परिवर्तित किया जाएगा। अंकों को थ्योरी अंकों में जोड़ा जाएगा।

अतिरिक्त विषय श्रेणी के अंतर्गत आने वालों के लिए

1. अनुलग्नक 5 में दी गई विषयों की सूची में से कोई एक विषय, जो पहले नहीं लिया गया था
2. आंतरिक आकलन घटक वाले विषयों में थ्योरी परीक्षा में प्राप्त अंकों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के माध्यम से 100 अंकों में से आने वाले में परिवर्तित किया जाएगा। अंकों को थ्योरी अंकों में जोड़ा जाएगा।

फोटोग्राफ स्कैन करने और अपलोड करने के चरण

फ़ोटो का प्रकार

1. फ़ोटो पूर्ण रंग में और उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए ताकि कोई पिक्सेल न दिखाई दे।
2. फोटो पिछले 6 महीनों में लिया गया होना चाहिए।
3. सिर सीधे कैमरे के सामने होना चाहिए, यह केंद्रित हो और 80% छवि निर्मित करता हो। फोटो बालों के थोड़ा ऊपर से छाती के मध्य भाग तक खींची हुई होनी चाहिए।
4. एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति रखें – मुस्कुराया जा सकता है।
5. अभ्यर्थी स्पष्ट फोकस में हो और पृष्ठभूमि से अलग हो।
6. सॉलिड कलर बैकग्राउंड श्रेष्ठ होते हैं।
7. आंखें खुली रहनी चाहिए और कैमरे को देखना चाहिए। चश्मे को तब तक रंगा नहीं जाना चाहिए जब तक कि इसे चिकित्सा प्रयोजनों के लिए दैनिक रूप से न पहना जाए।
8. व्यक्ति का पूरा चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।

<table>
<tr><th colspan="4">कक्षा XII (प्राइवेट अभ्यर्थी) के लिए फॉर्म भरने का शुल्क और तिथियाँ</th></tr>
<tr><td rowspan="2">शुल्क स्लैब</td><td colspan="2">प्रति विद्यार्थी अदा किया जाने वाला शुल्क
(भारतीय रुपए में)</td><td rowspan="2">फॉर्म ऑनलाइन प्रस्तुति की अनुसूची</td></tr>
<tr><td>भारत में स्कूल</td><td>भारत के बाहर स्कूल</td></tr>
<tr><td rowspan="2">परीक्षा शुल्क</td><td>05 विषयों के लिए 1500 रुपए</td><td>05 विषयों के लिए 10000 रुपए</td><td rowspan="4">02.12.2021
(वीरवार)
से
20.12.2021
(सोमवार)

सांय 05 बजे तक</td></tr>
<tr><td>एक अतिरिक्त विषय के लिए प्रति विषय 300 रुपए</td><td>एक अतिरिक्त विषय के लिए प्रति विषय
2000 रुपए</td></tr>
<tr><td>अतिरिक्त /कम्पार्टमेंट /सुधार के लिए बिना विलंब शुल्क परीक्षा शुल्क</td><td>अतिरिक्त /कम्पार्टमेंट /सुधार के लिए प्रति विषय
300 रुपए</td><td>अतिरिक्त /कम्पार्टमेंट /सुधार के लिए प्रति विषय 2000 रुपए</td></tr>
<tr><td>प्रैक्टिकल शुल्क</td><td>प्रत्येक प्रैक्टिकल/परियोजना कार्य विषय के लिए 150 रुपए</td><td>प्रत्येक प्रैक्टिकल/परियोजना कार्य विषय के लिए 350 रुपए</td></tr>
<tr><td>विलंब शुल्क सहित</td><td colspan="2">प्रति अभ्यर्थी 2000 रुपए के विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि (निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त)</td><td>21.12.2021 (मंगलवार) सांय 05:01 बजे से 30.12.2021 (वीरवार)
सांय 05 बजे तक</td></tr>
</table>

नोट:-

0 ऑनलाइन प्रक्रिया अवकाश के दिन भी की जा सकती है।
0 अंतिम तिथियां नहीं बढ़ाई जाएंगी
0 दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क से छूट दी गई है। हालांकि, यदि अंतिम तिथि के बाद फॉर्म जमा किया जाता है तो विलंब शुल्क लागू होगा।

0 दिल्ली के बाहर रहने वाली महिला अभ्यर्थी प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।

<u>शुल्क भुगतान</u>

1. सीबीएसई द्वारा सभी गतिविधियों के लिए शुल्क केवल निम्नलिखित डिजिटल भुगतान मोड के माध्यम से स्वीकार किया जाता है:

   भारत में- डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ नेफ्ट/ आरटीजीएस
   विदेशी- डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/स्विफ्ट

2. फीस के भुगतान से पहले, स्कूल चेक लिस्ट के रूप में एलओसी का प्रिंट ले सकते हैं। एक बार शुल्क का भुगतान करने के बाद, अंतिम एलओसी मुद्रित की जाएगी, और उसके बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में कोई सुधार नहीं किया जा सकता है।

3. चूंकि स्विफ्ट अद्यतन में 2-3 दिन लग सकते हैं, इसलिए, भारत के बाहर स्थित स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे शुल्क के भुगतान सहित अपनी प्रक्रिया को इस तरह से पूरा करें कि उनकी प्रक्रिया अंतिम तिथि से पहले समाप्त हो जाए।

4. बैंक से संबंधित लेनदेन या सर्वर पर शुल्क का अद्यतन न होने की स्थिति में, स्कूलों को संबंधित बैंक से संपर्क करना चाहिए जिसके माध्यम से भुगतान किया गया था। बैंकों के संपर्क विवरण सीबीएसई की वेबसाइट पर दिए गए हैं। आम तौर पर, बैंक को शुल्क के अपडेट न होने के मामले को हल करने के लिए निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता होगी, इसलिए बैंक से संपर्क करने से पहले इन्हें तैयार रखे:

   ए) भुगतान का तरीका
   बी) शुल्क संदर्भ संख्या
   सी)जमा की गई राशि
   डी) जमा करने की तिथि
   ई) शाखा जहां राशि जमा की गई थी
   च) बैंक संदर्भ संख्या (बैंक खाते में दर्शाई गई लेनदेन आईडी)
   छ) आपकी संपर्क संख्या

अनुलग्नक -5

थ्योरी और प्रैक्टिकल / परियोजना भार/ भारिता (weightage) वितरण सहित कक्षा XII विषय

विषय कोड	विषय नाम	अनुमति प्राप्त/ अनुमति नही दी गई	थ्योरी भार/ भारिता (weightage)	परियोजना/ प्रैक्टिकल भार/ भारिता (weightage)
001	#/1अंग्रेजी एलेक्टिव-एनसीईआरटी	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
002	#/2 हिंदी इलेक्टिव	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
003	#/3 उर्दू इलेक्टिव	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
022	#/4 संस्कृत इलेक्टिव	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
027	इतिहास	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
028	राजनीति विज्ञान	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
029	भूगोल	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	70	30
030	अर्थशास्त्र	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
031	#/5 कर. संगीत (वॉकल)	दृष्टिबाधित(Blind)/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	30	70
032	#/5 कर. संगीत मेल. इन्स.	दृष्टिबाधित(Blind)/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	30	70
033	#/5 कर. पर. इन्स	दृष्टिबाधित(Blind)/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	30	70
034	#/5 हिन्दुस्तानी संगीत (वॉकल)	दृष्टिबाधित(Blind)/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	30	70
035	#/5 हिन्दुस्तानी संगीत मेल. इन्स.	दृष्टिबाधित(Blind)/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	30	70
036	#/5 हिन्दुस्तानी पर. इन्स.	दृष्टिबाधित(Blind)/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	30	70
037	मनोविज्ञान	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी	70	30

		के लिए अनुमति दी गई		
039	समाजशास्त्र	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
041	गणित	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
241	अनुप्रयुक्त गणित	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
042	भौतिकी	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	70	30
043	रसायन शास्त्र	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	70	30
044	जीव विज्ञान	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	70	30
045	जैव प्रौद्योगिकी	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	70	30
046	इंजीनीरिंग ग्राफिक्स	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	70	30
048	शारीरिक शिक्षा	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	70	30
049	पेंटिंग	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	30	70
050	ग्राफिक्स	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	30	70
051	स्कल्प्चर	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	30	70
052	एप्प/कॉमर्शियल आर्ट	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	30	70
054	बिजनेस स्टडीज	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
055	एकाउंटेन्सी	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
056	कथक- नृत्य	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	30	70
057	भरतनाट्यम - नृत्य	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	30	70
058	कुचिपुड़ी - नृत्य	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	30	70
059	ओडिसी - नृत्य	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	30	70
060	मणिपुरी - नृत्य	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	30	70
061	कथकली – नृत्य	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	30	70
064	होम साइंस	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी	70	30

		अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई		
065	इंफ़ोरमटिक्स प्रक. (नया)	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	70	30
066	उद्यमिता	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	70	30
073	नॉलेज ट्रेडीशन एवं प्रक्टिसेज ऑफ इंडिया	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	70	30
074	विधि अध्ययन	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
076	नेशनल कडेट कॉर्पस (एनसीसी)	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	70	30
083	कंप्यूटर साइंस (नया)	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	70	30
104	पंजाबी	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
105	बंगाली	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
106	तमिल	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
107	तेलुगु	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
108	सिंधी	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
109	मराठी	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
110	गुजराती	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
111	मणिपुरी	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
112	मलयालम	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
113	ओडिया	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
114	असमिया	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
115	कन्नड़	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
116	अरबी	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
117	तिब्बती	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
118	फ्रेंच	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20

120	जर्मन	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
121	रूसी	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
123	पर्शियन	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
124	नेपाली	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
125	लिंबु	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
126	लेपचा	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
189	तेलुगु -तेलंगाना	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
192	बोडो	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
193	तांगखुल	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
194	जापानी	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
195	भूटिया	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
196	स्पेनिश	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
197	कश्मीरी	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
198	मिज़ो	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
301	#/1 अंग्रेजी कोर	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
302	#/2 हिंदी कोर	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
303	#/3 उर्दू कोर	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
322	#/4 संस्कृत कोर	प्राइवेट/अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	80	20
801	रिटेल	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	60	40
802	सूचना प्रौद्योगिकी	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	60	40
803	वेब एप्पलीकेशन	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	60	40
804	ऑटोमोटिव	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी	60	40

		के लिए अनुमति दी गई		
805	फाइनैन्शल मार्केट मैनेजमेंट	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	60	40
806	टूरिज़्म	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	60	40
807	ब्यूटी एंड वेलनेस	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	60	40
808	एग्रीकल्चर	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	70	30
809	फूड प्रोडक्शन	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	60	40
810	फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन्स	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	60	40
811	बैंकिंग	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	60	40
812	मार्केटिंग	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	60	40
813	हेल्थ केयर	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	60	40
814	इन्शुरन्स	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	60	40
#815	एक्स रे तकनीशियन	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	60	40
816	होर्टिकल्चर	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	60	40
817	टाइपाग्रफी एंड कंप्यूटर अनुप्रयोग	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	60	40
818	जिओसपेशियअल प्रौद्योगिकी	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	60	40
819	इलेक्ट्रिकल प्रौद्योगिकी	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	60	40
820	इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	60	40
821	मल्टीमीडिया	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	50	50
822	टैक्सेशन	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	60	40
823	कोस्ट एकाउंटिंग	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	60	40
824	ऑफिस प्रोसेजर एंड प्रेक्टीसेज	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	60	40
825	शॉर्टहैंड (अंग्रेजी)	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	60	40

826	शॉर्टहैंड (हिंदी)	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	60	40
827	एयर-कंडीशन एंड रेफ्रीजरेशन	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	60	40
828	मेडिकल डायगनोस्टिक्स	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	60	40
829	टेक्सटाइल डिजाइन	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	60	40
830	डिजाइन	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	50	50
831	सेल्ज़मैनशिप	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	60	40
#832	म्यूजिक प्रोडक्शन	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	60	40
833	बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	70	30
834	फ़ूड न्यूट्रीशन एंड डाइटेटिक्स	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	70	30
835	मास मीडिया स्टडीज	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	70	30
836	लाइब्रेरी एंड इनफॉर्मेशन साइंस	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	70	30
837	फैशन स्टडीज	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	70	30
#838	अनुप्रयुक्त भौतिकी	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	70	30
839	अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	70	30
841	योग	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	50	50
842	अर्ली चाइल्डहूड केयर एंड एडयूकेशन	अनुत्तीर्ण/कम्पार्ट./आई ओपी अभ्यर्थी के लिए अनुमति दी गई	50	50

/ 1 अंग्रेजी ऐच्छिक (001) और अंग्रेजी कोर (301) में से कोई एक
/2 हिंदी ऐच्छिक (002) और हिंदी कोर (302) में से कोई एक
/ 3 उर्दू ऐच्छिक (003) और उर्दू कोर (303) में से कोई एक
/4 संस्कृत ऐच्छिक (022) और संस्कृत कोर (322) में से कोई एक
#/5 संगीत के लिए 06 विषय कोड में से कोई एक (031 से 036)

साथ ही, स्किल ऐच्छिक एक्स-रे टेक्निशियन (कोड नंबर 815), म्यूजिक प्रोडक्शन (कोड नंबर 832), एप्लाइड फिजिक्स (कोड नंबर 838) और एप्लाइड केमिस्ट्री (कोड नंबर 839) को सत्र 2020-2021 से बंद कर दिया गया है। हालाँकि, जिन अभ्यर्थियों ने सत्र 2019-2020 में इन कौशल ऐच्छिक का विकल्प चुना था, वे तदनुसार बोर्ड परीक्षा-2021 में उपस्थित होंगे।

दसवीं और बारहवीं दोनों बोर्ड परीक्षाओं दोनों के लिए लागू छूट/रियायत नियम

क. सामान्य छूट/रियायतें

क्रमांक	रियायतें	उदाहरण
1.	मेडिकल प्रमाण पत्र जारीकर्ता प्राधिकारी	नि:शक्त अभ्यर्थियों को रियायतें देने के लिए निम्नलिखित एजेंसियों/संगठनों द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र पर विचार किया जाएगा: i) केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित सरकारी अस्पतालों द्वारा जारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक से नि:शक्तता प्रमाण पत्र। ii) राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त संस्थानों जैसे नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया आदि द्वारा जारी नि:शक्तता प्रमाण पत्र; तथा iii) भारतीय पुनर्वास परिषद / केंद्र सरकार / संबंधित राज्य की राज्य सरकार के साथ पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों / चिकित्सकों द्वारा जारी नि:शक्तता प्रमाण पत्र। iv) किसी भी स्थान पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नि:शक्तता प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। v) एक परीक्षार्थी के लिए लिखने की भौतिक सीमा/बाधा (physical limitation) के बारे में प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा अनुलग्नक ए में संलग्न है
2.	प्रलिपिक (Scribe) और प्रतिपूरक समय की सुविधाएं	i) नि:शक्तजन अधिकार अधिनियम 2016 में यथा परिभाषित नि:शक्त अभ्यर्थियों को एक प्रलिपिक या अनुमत प्रतिपूरक समय या दोनों का उपयोग करने की अनुमति है जैसा कि नीचे दिया गया है: 3 घंटे की अवधि के पेपर के लिए - 60 मिनट 2.5 घंटे की अवधि के पेपर के लिए - 50 मिनट 2 घंटे की अवधि के पेपर के लिए - 40 मिनट 1.5 घंटे की अवधि के पेपर के लिए- 30 मिनट ii) नि:शक्तता की श्रेणियों, जिनके लिए प्रलिपिक (scribe) /रीडर/ लेखक/ एडल्ट प्रॉम्प्टर की अनुमति है, के लिए कृपया अनुलग्नक-सी देखें।
3.	प्रलिपिक (Scribe) की नियुक्ति एवं अनुदेश	i) अभ्यर्थी को अपने स्वयं के प्रलिपिक/ रीडर को चुनने या परीक्षा केंद्र से इसके लिए अनुरोध करने का विवेकाधिकार होगा। ii) यदि परीक्षा केंद्र द्वारा प्रलिपिक (scribe)/रीडर उपलब्ध कराया जाता है, प्रलिपिक (scribe) की योग्यता परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता मानदंड से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, अर्हता हमेशा मैट्रिक या उससे ऊपर

		होनी चाहिए। iii) यदि अभ्यर्थी को अपना प्रलिपिक (scribe) लाने की अनुमति दी जाती है, तो प्रलिपिक (scribe) की अर्हता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की अर्हता से एक चरण नीचे होनी चाहिए। बेंचमार्क नि:शक्तता वाला व्यक्ति जो स्वयं के प्रलिपिक (scribe)/रीडर का चयन कर रहा है, उन्हें अनुलग्नक-बी के रूप में प्रोफार्मा के अनुसार स्वयं के प्रलिपिक (scribe) /रीडर का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। अभ्यर्थी के पास परीक्षा से दो दिन पहले प्रलिपिक (scribe) से मिलने का भी विकल्प होगा। iv) आपात स्थिति में अभ्यर्थियों को प्रलिपिक (scribe) /रीडर बदलने की अनुमति होगी। अभ्यर्थी को अलग-अलग पेपर लिखने के लिए, विशेष रूप से भाषाओं के लिए, एक से अधिक प्रलिपिक (scribe) /रीडर लेने की भी अनुमति होगी। हालाँकि, प्रति विषय केवल प्रलिपिक (scribe) हो सकता है। v) संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षक, बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को अभ्यर्थी और प्रलिपिक (scribe) का पूरा विवरण देते हुए एक रिपोर्ट अग्रेषित करेंगे। vi) जिस अभ्यर्थी के लिए एक प्रलिपिक (scribe) /रीडर की अनुमति है उसके लिए उपयुक्त कमरे की व्यवस्था की जाएगी और उसकी परीक्षा की निगरानी के लिए केंद्र अधीक्षक द्वारा एक अलग सहायक अधीक्षक नियुक्त किया जाएगा। vii) प्रलिपिक (scribe) /रीडर की सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी viii) केंद्र अधीक्षक द्वारा प्रलिपिक (scribe) को सीबीएसई के मानदंडों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।
4.	अन्य सामान्य अनुदेश / सुविधाएं	i) आसान पहुंच की सुविधा के लिए, कुछ चयनित स्कूलों को विशेष छात्रों के लिए परीक्षा केंद्र बना दिया जाता है। हालांकि, एक बार आवंटित परीक्षा केंद्र को बदला नहीं जाएगा। ii) दृष्टिबाधितों के लिए विशेष परीक्षा केन्द्रों पर सहायक अधीक्षकों (अन्वीक्षकों) के रूप में दृष्टिबाधितों के लिए विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। हालांकि, अलग-अलग दिनों में अलग-अलग विषय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एहतियात बरती जाती है। iii) केंद्र अधीक्षकों द्वारा नि:शक्त अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अलग से भेजी जाती हैं। iv) नि:शक्तता की श्रेणी को इंगित करने के लिए उत्तर पुस्तिका के शीर्षक पृष्ठ पर एक अलग कॉलम दिया गया है। v) कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति केवल विशिष्ट अधिगम नि:शक्तता

		(डिस्कलकुलिया) से पीड़ित बच्चों के लिए है। vi) कम दृष्टि वाले दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को मैग्नीफाइंग ग्लास/पोर्टेबल वीडियो मैग्निफायर की भी अनुमति है। vii) नि:शक्तता की उन श्रेणियों के लिए जिनके लिए कंप्यूटर की अनुमति है, कृपया अनुलग्नक-सी देखें। viii) नि:शक्तता छात्रों की वास्तविक आवश्यकता और कौशल के अनुसार कंप्यूटर की अनुमति दी जाएगी, जो पंजीकृत चिकित्सा चिकित्सकों / योग्य मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं द्वारा जारी प्रमाण पत्र द्वारा विधिवत रूप से समर्थित हो, जिसमें कंप्यूटर के प्रयोग की सिफारिश के आधार के उल्लेख करते हुए परीक्षा लिखने के लिए कंप्यूटर सुविधा का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। ऐसी अनुमति निम्नलिखित के अधीन होगी:-

		(क) कम्प्युटर का उपयोग केवल उत्तरों को टाइप करने, बड़े फॉन्ट आकार में प्रश्नों को देखने, प्रश्न मदों को सुनने तक सीमित होगा। संबंधित अभ्यर्थी विधिवत फॉर्मैट किया हुआ अपना कम्प्युटर अथवा लैपटॉप लाएगा और केंद्र अधीक्षक कम्प्युटर शिक्षक द्वारा निरीक्षण के पश्चात ऐसे अभ्यर्थी को अनुमति देगा और वही कम्प्युटर शिक्षक कम्प्युटर के उपयोग का अनुवीक्षण कर सकता है। केंद्र अधीक्षक समय की हानि, यदि हो, की क्षतिपूर्ति कर सकता है, और ऐसी स्थिति में, इसका रिकॉर्ड रखेगा। (ख) अभ्यर्थी द्वारा लाए गए लैपटॉप में परीक्षा की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए कोई इंटरनेट कनैक्शन नहीं होगा। (ग) अभ्यर्थी कम्प्युटर/लैपटॉप का उपयोग केवल उस उद्देश्य के लिए करेगा जिसके लिए अनुमति ली गई है। (घ) सक्षम चिकित्सीय प्राधिकारी/अर्हता प्राप्त मनोवैज्ञानिकीय परामर्शदाता द्वारा विशिष्ट सिफ़ारिशों सहित ऐसे अनुरोधो को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाएगा। (ङ) कम्प्युटर के उपयोग की जिम्मेदारी अभ्यर्थी पर होगी और बोर्ड कंप्यूटर के उपयोग के कारण होने वाली किसी भी चूक से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा। **ix.** छात्र की नि:शक्तता के मामले में, प्रलिपिक की सुविधा नहीं मांगने पर प्रश्न पत्र को पढ़ने वाले पाठक के प्रावधान की अनुमति होगी परंतु **ऐसे व्यक्ति की भूमिका प्रश्न पत्र को पढ़ने तक ही सीमित होगी**। पंजीकृत चिकित्सक/प्राधिकृत मनोवैज्ञानिक द्वारा विशिष्ट सिफ़ारिश सहित प्रधानाचार्य के माध्यम से अभ्यर्थी द्वारा ऐसी अनुमति के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए। स्कूल प्रधानाचार्य द्वारा ऐसे मामलों को सीबीएसई क्षेत्रीय कार्यालय को संदर्भित किया जाएगा और मामला-दर-मामला योग्यता के आधार पर अनुमति दी जाएगी। **ऐसे अभ्यर्थियों**

		को प्रलिपिक के उपयोग की सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी। x. नि:शक्तता की श्रेणियों जिसके लिए उपस्थिति में छूट की अनुमति है, हेतु कृपया अनुलग्नक- सी का संदर्भ लें। 50% तक की उपस्थिति में छूट पर विचार उन नि:शक्त अभ्यर्थियों के लिए किया जा सकता है, जो निर्धारित दिनों के लिए स्कूल में उपस्थित होने हेतु असमर्थ है। पंजीकृत चिकित्सक/प्राधिकृत मनोवैज्ञानिक के समर्थित प्रमाण पत्र सहित उपस्थिति विवरण सहित अभ्यर्थी के स्कूल के प्रधानाचार्य से ऐसी सिफ़ारिशे आनी चाहिए।
5.	शुल्क	कक्षा IX,X,XI,XII के लिए पंजीकरण एवं परीक्षा शुल्क दृष्टिबाधित अभ्यर्थी के लिय प्रभारित नहीं होगा जैसा कि अनुलग्नक- सी में संदर्भित है।

बी. विशिष्ट छूट/रियायत

(i) कक्षा X

क्रम सं.	विषय	छूट/रियायत
1.	**तृतीय भाषा से छूट**	जैसा कि नि:शक्तजन जन अधिकार अधिनियम 2018 में परिभाषित है, नि:शक्त अभ्यर्थी को तृतीय भाषा से छूट मिलेगी।
2.	**विषयों को चुनने का लचीलापन**	क जैसा कि नि:शक्तजन अधिकार अधिनियम 2016 में परिभाषित है, नि:शक्त अभ्यर्थी के पास दो भाषाओं के समक्ष एक अनिवार्य भाषा पढ़ने का विकल्प है। यह भाषा बोर्ड द्वारा त्रिभाषा फॉर्मूला की सम्पूर्ण भावना के अनुरूप होनी चाहिए। एक भाषा के अतिरिक्त, निम्नलिखित समूहों में से किन्हीं चार की पेशकश की जा सकती है : **समूह 1** गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, दूसरी अन्य भाषा, संगीत (कोई भी), पेंटिंग, गृह विज्ञान, व्यवसाय के तत्व, पुस्तक रखरखाव के तत्व और लेखा, कम्प्युटर अनुप्रयोग **समूह 2** केवल नियमित अभ्यर्थी के लिए एक कौशल विषय (ऑटोमोटिव को छोड़कर) **नोट:** यदि समूह 1 से कम्प्युटर अनुप्रयोग को चुना गया है, तो सूचना प्रोद्यौगिकी समूह 2 से प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। ख ऐसे प्राइवेट अभ्यर्थी, जो दिल्ली के वास्तविक निवासी के रूप में उपस्थित होने वाले हैं, वे माध्यमिक स्तर पर परीक्षा उपविधि के प्रावधानों के अनुसार प्रायोगिक घटक वाले विषयों को नहीं ले सकता है। तथापि, जैसा कि नि:शक्तजन अधिकार अधिनियम 2018 में परिभाषित है, नि:शक्त अभ्यर्थी के पास अध्ययन के विषय के रूप में संगीत, पेंटिंग और गृह विज्ञान को चुनने का विकल्प है। ग फिजियो-थेरेपिक अभ्यास का बोर्ड के स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के समतुल्य होने पर विचार किया जाता है।
3.	**वैकल्पिक प्रश्न/अलग प्रश्न**	i) सामाजिक विज्ञान और गणित विषय में दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए प्रश्नों के बदले दृश्य निविष्टियों वाले वैकल्पिक प्रकार के प्रश्न प्रदान किए जाते है। ii) दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए विज्ञान और गणित विषयों में प्रश्न पत्र ब्रेल में प्रदान किए जाते है।

		iii) कम दृष्टि वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा 2020 से बड़े फॉन्ट वाले प्रश्न पत्र के बदले मैग्निफ़ाइंग ग्लास/पोर्टेबल वीडियों मेग्नीफायर उपयोग करने अनुमति दी जाती है।

(ii) कक्षा XII

क्रम सं.	विषय	छूट/ रियायत
1.	**विषयों की चुनने का लचीलापन**	ऐसे निजी अभ्यर्थी, जो दिल्ली के वास्तविक निवासी के रूप में उपस्थित हो रहे हैं, वे परीक्षा उपविधि के प्रावधानों के अनुसार प्रायोगिक घटक वाले विषयों को नहीं ले सकते हैं। तथापि, जैसा कि नि:शक्तजन अधिकार अधिनियम 2018 में परिभाषित है, नि:शक्त अभ्यर्थियों के पास अध्ययन के विषय के रूप में संगीत, पेंटिंग और गृह विज्ञान को चुनने का विकल्प है।
2.	**प्रायोगिक घटक के बदले में अगल प्रश्न पत्र और प्रश्न**	क भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के विषयों में प्रायोगिक परीक्षा के बदले, नि:शक्त अभ्यर्थियों को प्रायोगिक घटक पर आधारित बहु विकल्प युक्त प्रश्न वाले अलग प्रश्न पत्र दिये जाते हैं। ख बिना किसी दृश्य निविष्टि के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान विषयों में अगल प्रश्न पत्र दिए जाते हैं। ग इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के विषयों में दृश्य निविष्टियों से युक्त प्रश्न के बदले वैकल्पिक प्रकार के प्रश्न प्रदान किए जाते हैं। **नोट:** नि:शक्तता की श्रेणियों, जिसके लिए अलग प्रश्न पत्र की अनुमति है, के लिए कृपया अनुलग्नक- सी का संदर्भ लें।

अनुलग्नक- ए

लेखन में परीक्षार्थी की शारीरिक सीमा/बाधा के संबंध में प्रमाण पत्र

(सांकेतिक)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/कुमारी/श्रीमती ____ (नि:शक्त अभ्यर्थी का नाम), जो _____________________________________ (नि:शक्तता प्रमाण पत्र में उल्लिखित नि:शक्तता की प्रकृति और प्रतिशत) वाला व्यक्ति है, ____ का पुत्र/पुत्री है व (स्कूल का नाम एवं पता) _________________________________ का छात्र है, का परीक्षण किया है और स्पष्ट करता हूँ कि उसकी नि:शक्तता के कारण उसमें ऐसी शारीरिक सीमा/बाधा है, जो उसकी लेखन क्षमताओं को बाधित करती है।

हस्ताक्षर

सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के चिकित्सा अधीक्षक/

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन

नाम एवं पदनाम

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का सील सहित नाम

स्थान:

तिथि:

नोट: प्रासंगिक क्षेत्र/ नि:शक्तता(उदाहरणत: दृष्टिबाधित-नेत्र विशेषज्ञ, लोकोमोटर नि:शक्तता - हड्डी रोग विशेषज्ञ/पीएआर) के विशेषज्ञ द्वारा नि:शक्तता प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए।

अनुलग्नक- बी

स्वयं के लिए प्रलिपिक के उपयोग की वचन बद्धता का पत्र

मैं_______________________________________पुत्र श्री/श्रीमती _______________________ अनुक्रमांक_________________ (केंद्र का नाम) ______________________________________में उपस्थित रहूँगा। मेरी अर्हता ___________________________________है।

मैं एतद्द्वारा स्पष्ट करता हूँ कि उपरकथित परीक्षा देने के लिए ____________________________________ (प्रलिपिक का नाम) अधोहस्ताक्षरी हेतु प्रलिपिक/पाठक की सेवा प्रदान करेगा।

मैं एतद्द्वारा वचनबद्ध हूँ कि उसकी अर्हता __________________________है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी अर्हता अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा घोषित नहीं है और मेरी अर्हता से अधिक/ परे है, तब मैं इस परीक्षा से संबंधित अपने अधिकार और दावे को छोड़ दूंगा।

(नि:शक्त अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:

तिथि :

अनुलग्नक- सी

छूट का तालिका सारांश

I. लोकोमोटर नि:शक्तता

क्रम सं.	नि:शक्तता कोड	बोर्ड परीक्षा में नि:शक्त छात्रों को नि:शक्तता वार छूट	विषयों को चुनने में लचीलापन	उपस्थिति में छूट (अनुरोध पर)	द्वितीय भाषा के अध्ययन में छूट	कम्प्यूटर के माध्यम से परीक्षा	हस्त रोग/क्षति के मामले में प्रलिपिक और प्रतिकर समय	भूतल पर परीक्षा कक्ष	उन विषयों में जहां प्रायोगिक परीक्षा शामिल है, उसी अंकों का थ्योरी पेपर प्रदान किया जा सकता है।	परीक्षा के दौरान सहायक उपकरण की अनुमति देना (डॉक्टर की सलाह से)	कौशल आधारित विषयों का विकल्प	IX/X/XI/XII परीक्षाओं के लिए पंजीकरण शुल्कों अधित्यजन करना
	एल	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I (ए)	एलई	हाथ पाँव की स्थायी शारीरिक क्षति	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	___
I (बी)	एलएस	मेरुदड़ की स्थायी शारीरिक क्षति	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	___
I (सी)	एलए	अंग विच्छेद की स्थायी शारीरिक क्षति	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	___
I (डी)	एम एफ	क्लब फुट और अन्य स्थितियों की स्थायी शारीरिक क्षति	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	___
I (ई)	एल एन	चिरकालिक स्नायु तंत्र स्थितियों के कारण स्थायी शारीरिक क्षति	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	___

I (एफ)	एलएल	मेरुदंड चोट	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	___
I (जी)	एचए	एसिड अटैक पीड़ित	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	___
I (एच)	एचसी	मस्तिष्क पक्षाघात	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	___
I (आई)	एचएल	कुष्ठ रोग से ग्रसित रहा हुआ व्यक्ति	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	___
I (जे)	एचडी	बौनापन	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	____	हाँ	___
I (के)	एचएम	पेशीय दुर्विकार (मस्कुलर ड्यस्ट्रोफि)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	___

❖ पीडब्ल्यूडी अधिनियम-2018 में विभिन्न नि:शक्तताओं की परिभाषा देखी जा सकती है। नि:शक्तजन अधिकार अधिनियम 2018 के अंतर्गत शामिल व्यक्ति में विनिर्दिष्ट नि:शक्तता की सीमा को आँकने के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश अधिसूचना दिनांक 4 जनवरी, 2018 भारत का राजपत्र सं.61 दिनांक 5 जनवरी, 2018(फ़ाइल सं. 16-09/2014-डीडी-III) में यथा निहित है। विवरणात्मक सूचना के लिए, कृपया यह लिंक देखे linkhttps://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_CEN_25_24_00002_201649_151780732899&type=notification&filename=Guidelines%20notification_04.1.2018.pdf

II. दृश्य क्षति

क्रम सं.	नि:शक्तता कोड	बोर्ड परीक्षा में नि:शक्त छात्रों को नि:शक्तता वार छूट	विषयों को चुनने में लचीलापन	उपस्थिति में छूट (अनुरोध पर)	द्वितीय भाषा के अध्ययन में छूट	कम्प्यूटर के माध्यम से परीक्षा	लिपिक और प्रतिकर समय	भूतल पर परीक्षा कक्ष	उन विषयों में जहां प्रायोगिक परीक्षा शामिल है, उसी अंक का थ्योरी पेपर प्रदान किया जा सकता है।	परीक्षा के दौरान सहायक उपकरण की अनुमति देना (डॉक्टर की सलाह से)	कौशल आधारित विषयों का विकल्प	IX/X/XI/XII परीक्षाओं के लिए पंजीकरण शुल्कों अधित्यजन करना
	वी	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11
II(ए)	बीबी	दृष्टिहीनता	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
II(बी)	बीएल	कम दृष्टि	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	❖ हाँ (मैग्निफ़ाइंग ग्लास/पोर्टेबल वीडियों मेग्नीफायर)	हाँ	हाँ

कम दृष्टि वाले अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए बने प्रश्न पत्र प्रदान किए जाएंगे।

- ❖ **पीडब्ल्यूडी अधिनियम-2018 में विभिन्न नि:शक्तताओं की परिभाषा देखी जा सकती है।** नि:शक्तजन अधिकार अधिनियम 2018 के अंतर्गत शामिल व्यक्ति में विनिर्दिष्ट नि:शक्तता की सीमा को आँकने के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश अधिसूचना दिनांक 4 जनवरी, 2018 भारत का राजपत्र सं.61 दिनांक 5 जनवरी, 2018(फ़ाइल सं. 16-09/2014-डीडी-III) में यथा निहित है। विवरणात्मक सूचना के लिए, कृपया यह लिंक देखे-

linkhttps://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_CEN_25_24_00002_201649_151780732899&type=notification&filename=Guidelines%20notification_04.1.2018.pdf

III. श्रव्य क्षति

क्रम सं.	नि:शक्तता कोड	बोर्ड परीक्षा में नि:शक्त छात्रों को नि:शक्तता वार छूट	विषयों को चुनने में लचीलापन	उपस्थिति में छूट (अनुरोध पर)	द्वितीय भाषा के अध्ययन में छूट	कम्प्यूटर के माध्यम से परीक्षा	प्रतिकर समय	भूतल पर परीक्षा कक्ष	उन विषयों में जहां प्रायोगिक परीक्षा शामिल है, उसी अंक का थ्योरी पेपर प्रदान किया जा सकता है।	परीक्षा के दौरान सहायक उपकरण की अनुमति देना (डॉक्टर की सलाह से)	कौशल आधारित विषयों का विकल्प	IX/X/XI/XII परीक्षाओं के लिए पंजीकरण शुल्कों अधित्यजन करना
	एच	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11
III(ए) (ए)	डीडी	बहरापन	हाँ	हाँ	हाँ	___	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	___
III (बी) (ए)	डीएच	सुनने में कठिनाई	हाँ	हाँ	हाँ	___	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	___

❖ **पीडब्ल्यूडी अधिनियम-2018 में से विभिन्न नि:शक्तताओं की परिभाषा देखी जा सकती है।** नि:शक्तजन अधिकार अधिनियम 2018 के अंतर्गत शामिल व्यक्ति में विनिर्दिष्ट नि:शक्तता की सीमा को आँकने के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश अधिसूचना दिनांक 4 जनवरी, 2018 भारत का राजपत्र सं.61 दिनांक 5 जनवरी, 2018(फ़ाइल सं. 16-09/2014-डीडी-III) में यथा निहित है। विवरणात्मक सूचना के लिए, कृपया यह लिंक देखे-

linkhttps://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_CEN_25_24_00002_201649_151780732899&type=notification&filename=Guidelines%20notification_04.1.2018.pdf

IV. वाक् एवं भाषा नि:शक्तता

क्रम सं.	नि:शक्तता कोड	बोर्ड परीक्षा में नि:शक्त छात्रों को नि:शक्तता वार छूट	विषयों को चुनने में लचीलापन	उपस्थिति में छूट (अनुरोध पर)	द्वितीय भाषा के अध्ययन में छूट	कम्प्यूटर के माध्यम से परीक्षा	प्रलिपिक/पाठक और प्रतिकर समय	भूतल पर परीक्षा कक्ष	उन विषयों में जहां प्रायोगिक परीक्षा शामिल है, उसी अंक का थ्योरी पेपर प्रदान किया जा सकता है।	परीक्षा के दौरान सहायक उपकरण की अनुमति देना (डॉक्टर की सलाह से)	कौशल आधारित विषयों का विकल्प	IX/X/XI/XII परीक्षाओं के लिए पंजीकरण शुल्कों अधित्यजन करना
	एस	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III(बी)	डीएस	वाक् एवं भाषा नि:शक्तता	हाँ	हाँ	हाँ	___	हाँ	हाँ	___	हाँ	हाँ	___

- **पीडब्ल्यूडी अधिनियम-2018 में विभिन्न नि:शक्तताओं की परिभाषा देखी जा सकती है।** नि:शक्तजन अधिकार अधिनियम 2018 के अंतर्गत शामिल व्यक्ति में विनिर्दिष्ट नि:शक्तता की सीमा को आँकने के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश अधिसूचना दिनांक 4 जनवरी, 2018 भारत का राजपत्र सं.61 दिनांक 5 जनवरी, 2018(फ़ाइल सं. 16-09/2014-डीडी-III) में यथा निहित है। विवरणात्मक सूचना के लिए, कृपया यह लिंक देखे-

linkhttps://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_CEN_25_24_00002_201649_151780732899&type=notification&filename=Guidelines%20notification_04.1.2018.pdf

V. बौद्धिक नि:शक्तता

क्रम सं.	नि:शक्तता कोड	बोर्ड परीक्षा में नि:शक्त छात्रों को नि:शक्तता वार छूट	विषयों को चुनने में लचीलापन	उपस्थिति में छूट (अनुरोध पर)	द्वितीय भाषा के अध्ययन में छूट	कम्प्यूटर के माध्यम से परीक्षा	पाठक/वयस्क अनुबोधक*/प्रलिपिक और प्रतिकर समय	भूतल पर परीक्षा कक्ष	उन विषयों में जहां प्रायोगिक परीक्षा शामिल है, उसी अंक का थ्योरी पेपर प्रदान किया जा सकता है।	परीक्षा के दौरान सहायक उपकरण की अनुमति देना (डॉक्टर की सलाह से)	कौशल आधारित विषयों का विकल्प	IX/X/XI/XII परीक्षाओं के लिए पंजीकरण शुल्कों अधित्यजन करना
	आई	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV(ए)	सीएस	विशिष्ट अधिगम नि:शक्तता - डायेलेक्सिया - डायेग्राफिया - डिसकैलकुलिया - डिस्प्रेक्सिया - डेवलपमेंटल अफेजिया	हाँ	हाँ	हाँ	___	हाँ	हाँ	___	डिसकैलकुलिया से ग्रसित छात्र के लिए कैल्कुलेटर	हाँ	___
IV(बी)	सीए	औटिस्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर	हाँ	हाँ	हाँ	___	हाँ*	हाँ	___	हाँ	हाँ	___

❖ **पीडब्ल्यूडी अधिनियम-2018 से विभिन्न नि:शक्तता ओं की परिभाषा देखी जा सकती है।** नि:शक्तजन अधिकार अधिनियम 2018 के अंतर्गत शामिल व्यक्ति में विनिर्दिष्ट नि:शक्तता की सीमा को आँकने के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश अधिसूचना दिनांक 4 जनवरी, 2018 भारत का राजपत्र सं.61 दिनांक 5 जनवरी, 2018(फ़ाइल सं. 16-09/2014-डीडी-III) में यथा निहित है। विवरणात्मक सूचना के लिए, कृपया यह लिंक देखे-

linkhttps://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_CEN_25_24_00002_201649_151780732899&type=notification&filename=Guidelines%20notification_04.1.2018.pdf

VI. मानसिक रोग

क्रम सं.	नि:शक्तता कोड	बोर्ड परीक्षा में नि:शक्त छात्रों को नि:शक्तता वार छूट	विषयों को चुनने में लचीलापन	यदि अनुरोध किया जाता है, तो उपस्थिति में छूट	द्वितीय भाषा के अध्ययन में छूट	कम्प्यूटर के माध्यम से परीक्षा	पाठक/वयस्क अनुबोधक/प्रतिलिपिक और प्रतिकर समय	भूतल पर परीक्षा कक्ष	उन विषयों में जहां प्रायोगिक परीक्षा शामिल है, उसी अंक का थ्योरी पेपर प्रदान किया जा सकता है।	परीक्षा के दौरान सहायक उपकरण की अनुमति देना (डॉक्टर की सलाह से)	कौशल आधारित विषयों का विकल्प	IX/X/XI/XII परीक्षाओं के लिए पंजीकरण शुल्कों अधित्यजन करना
	एम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V	एसएम	मानसिक व्यवहार /प्रवृति	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	___	___	हाँ	___

❖ **पीडब्ल्यूडी अधिनियम-2018 में विभिन्न नि:शक्तताओं की परिभाषा देखी जा सकती है।** नि:शक्तजन अधिकार अधिनियम 2018 के अंतर्गत शामिल व्यक्ति में विनिर्दिष्ट नि:शक्तता की सीमा को आँकने के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश अधिसूचना दिनांक 4 जनवरी, 2018 भारत का राजपत्र सं.61 दिनांक 5 जनवरी, 2018(फ़ाइल सं. 16-09/2014-डीडी-III) में यथा निहित है। विवरणात्मक सूचना के लिए, कृपया यह लिंक देखे-

linkhttps://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_CEN_25_24_00002_201649_151780732899&type=notification&filename=Guidelines%20notification_04.1.2018.pdf

VII. चिरकालिक स्नायु तंत्र स्थितियों के कारण नि:शक्तता

क्रम सं.	नि:शक्तता कोड	बोर्ड परीक्षा में दिव्याङ्ग छात्रों को नि:शक्तता वार छूट	विषयों को चुनने लचीलापन	यदि अनुरोध किया जाता है, तो उपस्थिति में छूट	द्वितीय भाषा के अध्ययन में छूट	कम्प्यूटर के माध्यम से परीक्षा	पाठक/वयस्क अनुबोधक/प्रलिपिक और प्रतिकर समय	भूतल पर परीक्षा कक्ष	उन विषयों में जहां प्रायोगिक परीक्षा शामिल है, उसी अंक का थ्योरी पेपर प्रदान किया जा सकता है।	परीक्षा के दौरान सहायक उपकरण की अनुमति देना (डॉक्टर की सलाह से)	कौशल आधारित विषयों का विकल्प	IX/X/XI/XII परीक्षाओं के लिए पंजीकरण शुल्कों अधित्यजन करना
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VI	एसएन	चिरकालिक स्नायु तंत्र स्थितियां i) मल्टीपल स्केलेरोसिस ii) पार्किंसंस रोग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	___	हाँ	हाँ	___

- **पीडब्ल्यूडी अधिनियम-2018 में विभिन्न नि:शक्तताओं की परिभाषा देखी जा सकती है।** नि:शक्तजन अधिकार अधिनियम 2018 के अंतर्गत शामिल व्यक्ति में विनिर्दिष्ट नि:शक्तता की सीमा को आँकने के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश अधिसूचना दिनांक 4 जनवरी, 2018 भारत का राजपत्र सं. 61 दिनांक 5 जनवरी, 2018(फ़ाइल सं. 16-09/2014-डीडी-III) में यथा निहित है। विवरणात्मक सूचना के लिए, कृपया यह लिंक देखे-

linkhttps://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_CEN_25_24_00002_201649_151780732899&type=notification&filename=Guidelines%20notification_04.1.2018.pdf

VIII. रक्त विकार के कारण नि:शक्तता

क्रम सं.	नि:शक्तता कोड	बोर्ड परीक्षा में नि:शक्त छात्रों को नि:शक्तता वार छूट	विषयों को चुनने में लचीलापन	यदि अनुरोध किया जाता है, तो उपस्थिति में छूट	द्वितीय भाषा के अध्ययन में छूट	कम्प्यूटर के माध्यम से परीक्षा	पाठक/वयस्क अनुबोधक/प्रतिलिपिक और प्रतिकर समय	भूतल पर परीक्षा कक्ष	उन विषयों में जहां प्रायोगिक परीक्षा शामिल है, उसी अंक का थ्योरी पेपर प्रदान किया जा सकता है।	परीक्षा के दौरान सहायक उपकरण की अनुमति देना (डॉक्टर की सलाह से)	कौशल आधारित विषयों का विकल्प	IX/X/XI/XII परीक्षाओं के लिए पंजीकरण शुल्कों अधित्यजन करना
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VII	एसबी	रक्त विकार (i) सिकल सेल रोग (ii) थलसेमिया (iii) हैमोफीलिया	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	___	हाँ	हाँ	___

❖ **पीडब्ल्यूडी अधिनियम-2018 में विभिन्न नि:शक्तताओं की परिभाषा देखी जा सकती है।** नि:शक्तजन अधिकार अधिनियम 2018 के अंतर्गत शामिल व्यक्ति में विनिर्दिष्ट नि:शक्तता की सीमा को आँकने के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश अधिसूचना दिनांक 4 जनवरी, 2018 भारत का राजपत्र सं. 61 दिनांक 5 जनवरी, 2018(फ़ाइल सं. 16-09/2014-डीडी-III) में यथा निहित है। विवरणात्मक सूचना के लिए, कृपया यह लिंक देखे-
linkhttps://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_CEN_25_24_00002_201649_151780732899&type=notification&filename=Guidelines%20notification_04.1.2018.pdf

IX. एकाधिक नि:शक्तताएं

क्रम सं.	नि:शक्तता कोड	बोर्ड परीक्षा में नि:शक्त छात्रों को नि:शक्तता वार छूट	विषयों को चुनने में लचीलापन	यदि अनुरोध किया जाता है, तो उपस्थिति में छूट	द्वितीय भाषा के अध्ययन में छूट	कम्प्यूटर के माध्यम से परीक्षा	पाठक/वयस्क अनुबोधक/प्रतिलिपिक और प्रतिकर समय	भूतल पर परीक्षा कक्ष	उन विषयों में जहां प्रायोगिक परीक्षा शामिल है, उसी अंक का थ्योरी पेपर प्रदान किया जा सकता है।	परीक्षा के दौरान सहायक उपकरण की अनुमति देना (डॉक्टर की सलाह से)	कौशल आधारित विषयों का विकल्प	IX/X/XI/XII परीक्षाओं के लिए पंजीकरण शुल्कों अधित्यजन करना
	यू	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VIII	एसडी	विभिन्न नि:शक्तता	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	___	___	हाँ	___

- **पीडब्ल्यूडी अधिनियम-2018 में विभिन्न नि:शक्तता ओं की परिभाषा देखी जा सकती है।** नि:शक्तजन अधिकार अधिनियम 2018 के अंतर्गत शामिल व्यक्ति में विनिर्दिष्ट नि:शक्तता की सीमा को आँकने के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश अधिसूचना दिनांक 4 जनवरी, 2018 भारत का राजपत्र सं. 61 दिनांक 5 जनवरी, 2018(फ़ाइल सं. 16-09/2014-डीडी-III) में यथा निहित है। विवरणात्मक सूचना के लिए, कृपया यह लिंक देखे-

linkhttps://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_CEN_25_24_00002_201649_151780732899&type=notification&filename=Guidelines%20notification_04.1.2018.pdf

किसी प्रश्न एवं सहयोग के लिए कार्यालय समय में निम्नलिखित पर संपर्क करें			
क्षेत्रीय कार्यालय	**क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र**	**ऑनलाइन प्रस्तुति के संबंध में कोई तकनीकी प्रश्न हेतु**	**परीक्षा संबंधी प्रश्न के लिए**
क्षेत्रीय कार्यालय- पूर्व दिल्ली केनद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पीएस 1-2, इन्सटीट्यूशनल क्षेत्र, आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली – 110092	पूर्व दिल्ली, दक्षिण पूर्व दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली, शाहदरा और विदेश स्कूल	rodicu@gmail.com rodelhi.cbse@nic.in दूरभाष: 011-22236195 011- 22236180	rodelhi.cbse@nic.in दूरभाष: 011-22236195 22248885
क्षेत्रीय कार्यालय – चेन्नई केनद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड. नया नं.-3, पराने नंबर 1630 ए, "जे" ब्लॉक, 16 वीं मेन रोड, अन्ना नगर पश्चिम, चेन्नई- 600040 तमिलनाडु	आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु, तेलांगना, पुडुचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	rochennai@cbse.gov.in rochennai@cbse.gov.in दूरभाष:044-26164608, 044-26162264 फैक्स : 044-26162212	rochennai@cbse.gmail.com दूरभाष: 044-26164608,
क्षेत्रीय कार्यालय – तिरुवनंथपरम केनद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड. ब्लॉक - बी, 2 मंजिल, एलआईसी मंडल कार्यलय परिसर, पट्टम, तिरुवनंथपुरम – 695004 केरल	केरल और लक्षद्वीप	rotrivandrum.cbse@.gov.in दूरभाष: 0471-2534404 0471-2534496 फैक्स: 0471- 2534496	examcbse.tvm@gmail.com दूरभाष :0471-2987403
क्षेत्रीय कार्यालय – गवाहाटी केनद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड. शिल्पो ग्राम रोड (नजदीक शंकर देव कलाक्षेत्र). पंजाबाड़ी, गवाहाटी-781037, असम	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा	roguwahati.cbse@.nic.in दूरभाष:03612334661 (सीधे) ईपीएबीएक्स सं. 0361-2331995, एक्सटेंशन- 30 फैक्स : 0361-2330992	roguwahati.cbse@.nic.in दूरभाष: 0361 – 331995
क्षेत्रीय कार्यालय – अजमेर केनद्रीय माधयमिक शिक्षा बोर्ड. टोडरमल मार्ग, अजमेर- 305 030 राजस्थान	गुजरात और राजस्थान	roajmer.cbse@.nic.in 011-2634118 (कक्षा X) 011-2634117 (कक्षा XII) 011-2629928 फैक्स सं. 0145-2421543	roajmer.cbse@.nic.in दूरभाष: 0145-2627460, 2634114, 2629928 फैक्स सं: 0145-2421543
क्षेत्रीय कार्यालय – पंचकला केनद्रीय माधयमिक शिक्षा बोर्ड, सेक्टर 5, पंचकला - 134152 (हरियाणा)	हरियाणा और हिमाचल प्रदेश	ropanchkula.cbse@.nic.in दूरभाष: 0172-2585193 0172-2583547 0172-2585577 फैक्स : 0172-2585163	दूरभाष: 0172-2521503 0172-2521507, 2585193
क्षेत्रीय कार्यालय – प्रयागराज (इलाहाबाद) केनद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड. 35-बी, सिविल स्टेशन, एम जी मार्ग, प्रयागराज - 211001 इलाहाबाद	**उत्तर प्रदेश के जिले-** अंबेडकर नगर, अमेठी, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, भदोही, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फरुखाबाद, फ़तेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर,	roallahabad.cbse@.nic.in (सीधी लाइन) 0532-2400434 ईपीएबीएक्स लाइन: 0532-2407970-72 एक्सटेंशन- 116 (कंप्यूटर सैल) फैक्स सं: 0532-2408977	roallahabad.cbse@.nic.in दूरभाष: 0532- 2407970-72

	हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झाँसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशांबी, कुशी नगर, लखीमपुरखीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मऊ, मिर्ज़ापुर , प्रतापगढ़, रायबरेली, प्रयागराज , संत कबीर नगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी		

क्षेत्रीय कार्यालय – देहरादन केनद्रीय माधयमिक शिक्षा बोर्ड, 99, कौलागढ़ रोड, देहरादन - 248001, उत्तराखंड	**उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जिले-** बदायूं, बिजनौर, जे. पी. नगर/अमरोहा, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर, रामपुर, सहारनपुर और संभल	roddn.cbse@nic.in दरभाष: 0135-2757744 (एक्सटेंशन- 205) 0135-2753251, 0135-2753248 मोबाइल सं. 7579214383-हेल्पलाइन	roddn.cbse@nic.in दूरभाष: 0135-2757744
क्षेत्रीय कार्यालय – भवनेश्वर केनद्रीय माधयमिक शिक्षा बोर्ड, प्लॉट नंबर 4 (PT), शैलश्री विहार, चन्द्रशेखरपर, भवनेश्वर, जिला-खर्दा -751 021, ओडिशा	छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल	rocbsebbsr@rediffmail.com robhubaneshwar.cbse@nic.in दरभाष: 0674-2548426, 0674-2542312, 0674-2548212 (एक्सटेंशन 129), फैक्स:- 0674-2547312, हेल्पलाइन मोबाइल सं. 9853246315	दूरभाष: 0674-2721712 , 2721812
क्षेत्रीय कार्यालय–पटना केनद्रीय माधयमिक शिक्षा बोर्ड, अंबिका परिसर, स्टेट बैंक कालोनी के पास, ब्रह्मस्थान के नजदीक, शेखपरा, रजा बाजार, बेली रोड, पटना- 800014 बिहार	बिहार और झारखंड	ropatna.cbse@nic.in दरभाष: 0612-2295048, 0612-2295008 0612-2295080	ropatna.cbse@nic.in ropatna.cbse@gmail.com दूरभाष 0612-2295048, एक्सटेंशन. 24
क्षेत्रीय कार्यालय– बंगलरू केनद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड डिग्री कॉलेज बिलडींग नं. 57, हेसरघट्टा मेन रोड, निकट सतगिरी असपताल, चिमनी हिल्स, चिककाबानावारा, **बंगलुरू – 560090**	कर्नाटक	cbserobng@gmail.com दूरभाष: 914074260	cbserobng@gmail.com दरभाष : 914074260, 914056260
क्षेत्रीय कार्यालय– भोपाल केनद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रोहित नगर फेस-II, वार्ड सं.53, बावड़िया कलाँ, भोपाल- 462039	मध्य प्रदेश	robhopal.cbse@gmail.com दरभाष : 0755-2425044 09910670801	robhopal.cbse@gmail.com दरभाष : 0755-2425044 09910670801
क्षेत्रीय कार्यालय– चंडीगढ़ केनद्रीय माधयमिक शिक्षा बोर्ड वर्तमान में क्षे. का. पंचकला में स्थित, **चंडीगढ़**	जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	rochandigarh.cbse@gmail.com दूरभाष: 09873339561	

क्षेत्रीय कार्यालय–दिलली–पश्चिम केनद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सी-128 एवं 129 मंगोलपरी, इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1 नई दिल्ली – 110083	पश्चिम दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, उत्तर दिल्ली, उत्तर पूर्व दिल्ली, केंद्र दिल्ली	rodw.cbse@gmail.com दूरभाष: 9911332527	rodw.cbse@gmail.com दूरभाष: 9911332527
क्षेत्रीय कार्यालय – नोएडा केनद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, ए-83, सैक्टर-136, नोएडा-201305 उत्तर प्रदेश	**उत्तर प्रदेश के जिले-** आगरा, अलीगढ़, बागपत, बरेली, बुलंदशहर, एटा, फिरोजबाद, गौतम बुध नगर, गाज़ियाबाद, हापुर, हाथरस, कासगंज, काशी राम नगर, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर व शामली	ronoida.cbse@gmail.com दूरभाष: 07827288099	ronoida.cbse@gmail.com दूरभाष नं. 07827288099
क्षेत्रीय कार्यालय – पुणे केनद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आरएलएम बिजनेस पार्क, एसआर सं.28/4/ए, पराना खराडी, मंडवा रोड, बॉलीवड मल्टीप्लेक्स के सामने, खराड़ी पणे-411014 (महाराष्ट्र)	महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली	ropune.cbse@gmail.com दूरभाष: 09625624690 020-4617171 020-46917100	ropune.cbse@gmail.com दूरभाष: 09625624690 020-4917171 020-46917100